

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / लेखा / स्थाई निधि / 1632  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 / 09 / 2021

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति,

.....जिला .....(समस्त)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 की जमा स्थाई निधि की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

-000-

म०प्र० कृषि उपज मण्डी अधिनियम धारा 25 क(6) में सकल प्राप्तियों का 20% स्थायी निधि में बजट प्रावधान कर बजट स्वीकृति का प्रावधान निहित है। उक्त प्रावधान के तहत 20% राशि स्थायी निधि हेतु वित्तीय वर्ष के बजट में स्वीकृत की जाती है।

अतः आपके द्वारा संधारित की गई स्थायी निधि की जानकारी निम्न प्रपत्र में भिजवाई जाना सुनिश्चित करें:-

क्रमांक	मण्डी का नाम	श्रेणी	विगत वर्षों में जमा स्थाई निधि	चालू वर्ष 2021-22 में वर्तमान तक जमा स्थाई निधि	कुल जमा स्थाई निधि की राशि

अपर संचालक(वित्त)  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल